



SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ (पंजीकृत)

Regd. Under The Indian Trust Act 1982 of the Government of India & Govt. of U.P.

Regd. in Niti Ayog (NGO Darpan) Govt. of India

Regd. Office : 36, S.D.M. Court, Opp. Street No. 3, Sikandrabad, Distt. Bulandshahr-203205 (U.P.)

Ref. No:-2025/01/SFCF/093

Date:- 31.01.2025

URGENT/TIME BOUND MATTER

सेवा में,

- 1- माननीय कुलाधिपति, राज्य विवि0, उत्तर प्रदेश।
- 2 - माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 3 - माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय :- राज्य में विवि स्तरीय प्रवेश में एकल प्रवेश प्रणाली से छात्रों, संस्थानों को होने वाले नुकसान एवं इस प्रक्रिया के लागू होने से विवि0 स्तर पर आने वाली समस्याओं के सन्दर्भ में।

महोदय/महोदया,

सादर नमस्कार, आप जैसा की विदित ही है की आगामी शैक्षिक सत्र से सम्पूर्ण प्रदेश में राज्य स्तरीय एकल प्रवेश प्रणाली लागू किये जाने पर मंथन किया जा रहा है। शासन की मंशा इसको लागू कर छात्र हित को सार्थक करने की है लेकिन इसके विपरीत परिणामों से भी अनभिज्ञ नहीं हुआ जा सकता है। प्रवेश के समय जो समस्या कानुन पर विवि0 के समक्ष आती होगी वो मेरठ विवि0 के समक्ष नहीं आती होगी और जो मेरठ के समक्ष आती होगी वो आगरा विवि0 के समक्ष नहीं आती होंगी। छात्रों की समस्याएँ और उनका निराकरण पूर्णतया प्रत्येक राज्य विवि0 के क्षेत्रीय कारको पर निर्भर करता है।

यहाँ आप अवगत होंगे ही की राज्य में जिस भी पाठ्यक्रम में एकल प्रवेश प्रणाली या प्रवेश परीक्षा लागू है वहाँ उन पाठ्यक्रमों में स्थिति बेहद खराब है। बी0एड0, डी0एल0एड0 (पूर्व बीटीसी) की स्थिति आपके समक्ष है। बी0एड0 पाठ्यक्रम में राज्य एकल प्रवेश परीक्षा है वही डी0एल0एड0 में राज्य एकल प्रवेश मेरिट के आधार पर किये जाते हैं। बी0एड और डी0एल0एड0 जैसे पापाठ्यक्रम जो रोजगार देने में सहयोगी हैं उनमें एकल प्रवेश प्रणाली की वजह से स्थिति यह है की इन पाठ्यक्रमों में आधे से अधिक सीट प्रदेश भर के कॉलेजों में रिक्त हैं और बी0एड0 में तो हम प्रवेश परीक्षा कराने के बाद शून्य अंक पर भी प्रवेश दे रहे हैं तो इस तरह की एकल प्रवेश प्रणाली को विकसित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

राज्य विवि0 से सम्बद्ध संस्थानों में उनके क्षेत्र के ही छात्र-छात्रा प्रवेश लेते हैं ऐसे में इस व्यवस्था में सम्पूर्ण प्रदेश को एकल प्रवेश प्रणाली से जोड़ना प्रवेश प्रक्रिया को जटिल बनाने जैसी स्थिति होगी। परम्परागत पाठ्यक्रमों में एकल प्रवेश प्रणाली की राज्य स्तर पर आवश्यकता नहीं है इससे छात्र और संस्थान इस प्रक्रिया में घुलझ जायेंगे। छात्रों को प्रवेश अपने स्थानीय विवि0 या स्थानीय कॉलेजों में लेना हैं तो इस राज्य स्तरीय



31.1.25

31.1.25

Website : www.sfcf.in | Email : sfcf2023@gmail.com | Mob. 8954-89-1289, 9997-70-8995



Scanned with OKEN Scanner

एकल प्रवेश प्रक्रिया को प्रदेश स्तर पर लागू किये जाने का क्या लाभ। छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए छात्रहित में आवश्यक है की प्रवेश प्रक्रिया राज्य विवि० के द्वारा ही सम्पादित हो जिससे छात्रों के व्यापक समाधान त्वरित और उचित रूप में पूर्ववत् की तरह विवि० स्तर पर हो सके। शासन प्रवेश प्रक्रिया को राज्य स्तरीय करके जो उद्देश्य स्थापित करना चाहता है वह राज्य विवि० के माध्यम से भी किये जा सकते हैं। राज्य एकल प्रवेश प्रणाली से केवल निजी विवि० लाभान्वित होंगे और राज्य विवि० तथा उनसे सम्बद्ध कॉलेजों में छात्र संख्या प्रभावित होगी जिसका परिणाम यह होगा की राज्य विवि आर्थिक रूप से अक्षम होंगे वही बहुत से निजी कॉलेजों में प्रवेश ही नहीं होंगे और वह बंद होने की कगार पर होंगे।

अतः आपसे "फेडरेशन" छात्र हित में आपसे अनुरोध करती है की प्रवेश प्रक्रिया को राज्य स्तर पर एकल प्रणाली में लागू नहीं किया जाये इसके सापेक्ष पूर्ववत् की तरह राज्य विवि० द्वारा प्रक्रिया सम्पादित कराई जाये और प्रक्रिया के समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण के लिए शासन द्वारा राज्य विवि० के लिए आदेश जारी किये जा सकते हैं ताकि व्यवस्था आसानी से सम्पादित हो सके। प्रदेश स्तरीय इस व्यवस्था को लागू किये जाने से छात्रों, कॉलेजों एवं राज्य विवि० के सामने आने वाले समस्याओं पर भी मंथन किया जाना न्यायोचित होगा।

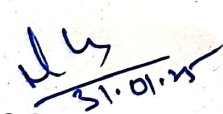
आशा है आप छात्र एवं निजी संस्थानों के मौलिक अस्तित्व के रक्षार्थ जनहित में उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।

आदर सहित।

प्रतिलिपि :- (द्वारा ई मेल एवं डाक)

1 - माननीय कुलपति/ कुलसचिव, समस्त राज्य विवि०, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध से की कृपया राज्य एकल प्रवेश प्रणाली से अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली समस्याओं के द्रष्टिगत पत्र के आलोक में सम्बन्धितों को वस्तुस्थिति से अवगत कराने की कृपा करें।

2- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध से कृपया उपरोक्त तथ्यों के आलोक में पुनर्विचार करने का कष्ट करें।


(एड० नितिन यादव)

राष्ट्रीय अध्यक्ष




(प्रो० (डॉ०) आनंद सिंह)

वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव